न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी –श्री भूपेन्द्र कुमार यादव, आर.ए.एस

राजस्व अपील :– 03/12 अन्तर्गत धारा 75 RLR Act

अनवान :–

अपीलाण्ट :– 1.श्रीमती शांतिदेवी पत्नि स्व.जयन्द्रसिंह 2.सत्येन्द्रसिंह 3.सुनीलसिंह पि.जयन्द्रसिंह 4.प्रेमलता 5.मायादेवी पुत्रियां जयन्द्रसिंह, जाति गुजर, निवासी सिहानिया तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।

बनाम

प्रतिवादीगण :– 1. ग्राम पंचायत झड़पा जरिये सरपंच

निर्णय

दिनांक 15.06.2018

अपीलाण्ट ने जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर अपील अन्तर्गत धारा 75 रा.भू.अ. विरूद्ध उतरदातागण पेश किया। जिसका सार संक्षेप में इस प्रकार है कि मौजा लकड़ासर तहसील सेड़वा के खेत खसरा सं. 170 रकबा 32.01 बीघा भूमि के खातेदार जयन्द्रसिंह वल्द चतरसालसिंह कौम अवाना गुजर का देहान्त होने के बाद उनके जायज वारिशान अपीलाण्ट सं. 1 से 5 के नाम हल्का पटवारी ने नामान्तरकरण सं. 525 भर कर ग्राप पंचायत झड़पा में पेश किया । जिसे ग्राम पंचायत झड़पा द्वारा यह बताकर खारीज कर दिया गया कि मृत्यू प्रमाण पत्र में जयन्द्रसिंह की जाति राजपूत दर्ज है।

नामान्तरकरण सं. 525 खातेदार के फौतगी नामान्तरकरण है इसमें सिर्फ वारिशान बाबत् ग्राम पंचायत को देखना था परन्तु सिर्फ जाति को आधार बना कर उक्त नामान्तरकरण खारीज किया गया। ग्राम पंचायत झड़पा का आदेश काबिले खारीज है। अतः अपीलाण्ट ने अपील पेश कर निवेदन किया कि नामान्तरकरण सं. 525 पर पारित उतरदाता का आदेश दिनांक 05.01.12 निरस्त कर नामान्तरकरण सं. 525 अपीलाण्टगण के पक्ष में स्वीकृत करने का आदेश दिया जावे।

उक्त अपील न्यायालय हाजा में दर्ज की गई जो दिनांक 30.01.2014 को खारीज की गई। जिसके विरूद्ध में अपील श्रीमान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर के समक्ष पेश की गई। श्रीमान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर द्वारा उक्त अपील में निर्णय दिनांक 18.10.17 को पारित कर न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 30.01.14 को निरस्त कर प्रकरण पुनः इस

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि मृतक खातेदार जयन्द्रसिंह पुत्र चतरसालसिंह जाति गुजर की मृत्यू उपरान्त रजिस्ट्रार , जन्म मृत्यू ग्राम पंचायत अरटी, द्वारा जारी किये गये मृत्यू प्रमाण पत्र क्रमशः दिनांक 03.06.11 एवं 05.11.11 का परीक्षण कर मृतक खातेदार जयन्द्रसिंह के विधिक वारिसान की जांच कर नियमानुसार म्यूटेशन की कार्यवाही सम्पन्न करे।

पत्रावली श्रीमान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर से प्राप्त होने पर पुनः दर्ज रजिस्टर की जाकर उतरदाता को सूचना के नोटिस जारी किये गये। पत्रावली न्याय आपके द्वार 2018 राजस्व लोक अदालत/कोर्ट कैम्प अरटी में दिनांक 15.06.18 को पेश हुई। अपीलाण्ट की ओर से अपीलाण्टगण सं. 1 से 3 एवं उतरदाता सरपंच ग्राम पंचायत अरटी उपस्थित हुए। उपस्थित पक्षकारों ने राजीनामा पेश किया । राजीनामा पेश कर निवेदन किया कि हम पक्षकार इस बात से सहमत है कि जयन्द्रसिंह पुत्र चतरसालसिंह की जाति गुजर है, जिसे गलती से राजपूत दर्ज किया गया । अतः नामान्तरकरण सं. 525 में जाति संशोधित करके गुजर दर्ज किया जाना उचित होगा। उपस्थित पक्षकारो द्वारा जन्म मृत्यू रजिस्टर ग्राम पंचायत अरटी की प्रमाणित प्रति पेश की ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली पर सलंग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया । उपस्थित पक्षकारों को सुना गया । जिससे स्पष्ट होता है कि नामान्तरकरण सं. 525 पर पारित आदेश दिनांक 05.01.12 विधि विरूद्ध है। खातेदार जयन्द्रसिंह पुत्र चतरसालसिंह जाति अवाना गुजर के फौत होने पर उसके वारिशान अपीलाण्ट सं. 1 से 5 के नाम हल्का पटवारी द्वारा नामान्तरकरण सं. 525 भर कर ग्राम पंचायत झड़पा को पेश किया गया। जो ग्राम पंचायत झड़पा द्वारा मात्र इस आधार पर खारीज किया गया कि मृत्यू प्रमाण पत्र में मृतक खातेदार जयन्द्रसिंह की जाति राजपूत दर्ज है। पत्रावली पर सलंग्न मृत्यू प्रमाण पत्र जो रजिस्ट्रार जन्म मृत्यू ग्राम पंचायत अरटी द्वारा जारी किया गया जिसकी दिनांक 30.06.11 है, में मृतक जयन्द्रसिंह की जाति गुर्जर अंकित है तथा दिनांक 05.11.11 को जारी मृत्यू प्रमाण पत्र में मृतक जयन्द्रसिंह की जाति राजपूत अंकित की गई। इससे स्पष्ट होता है कि पहले जो प्रमाण पत्र जारी किया गया उसमें मृतक जयन्द्रसिंह की जाति गुजर अंकित थी जिसे बाद के प्रमाण पत्र में राजपूत अंकित किया गया । जन्म मृत्यू रजिस्टर ग्राम पंचायत अरटी की प्रमाणित प्रति का अवलोकन करने पर मृतक खातेदार जयन्द्रसिंह की गुजर अंकित पाई गई ।

इस प्रकार पत्रावली के अवलोकन एवं उस पर सलंग्न दस्तावेजात के आधार पर स्पष्ट होता है कि मौजा लकड़ासर तहसील सेड़वा के खेत खसरा सं. 170 रकबा 32.01 बीघा भूमि के खातेदार जयन्द्रसिंह वल्द चतरसालसिंह कौम अवाना गुजर का देहान्त होने के बाद उनके जायज वारिशान अपीलाण्ट सं. 1 से 5 के नाम हल्का पटवारी ने नामान्तरकरण सं. 525 भर कर ग्राप पंचायत झड़पा में पेश कि । जिसे ग्राम पंचायत झड़पा द्वारा यह बताकर खारीज कर दिया गया कि मृत्यू प्रमाण पत्र में जयन्द्रसिंह की जाति राजपूत दर्ज है। नामान्तरकरण सं. 525 खातेदार के फौतगी नामान्तरकरण है इसमें सिर्फ वारिशान बाबत् ग्राम पंचायत को देखना था

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

परन्तु सिर्फ जाति को आधार बना कर उक्त नामान्तरकरण खारीज किया गया। इस प्रकार ग्राम पंचायत झड़पा का आदेश काबिले खारीज है।

अतः अपीलाण्टगण की अपील अन्तर्गत धारा 75 रा.भू.रा. अधिनियम स्वीकार की जाकर आदेश दिया जाता है कि नामान्तरकरण सं. 525 पर पारित आदेश दिनांक 05.01.12 को निरस्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा लकड़ासर तहसील सेड़वा के खेत खसरा सं. 170 रकबा 32.01 बीघा भूमि में मृतक जयन्द्रसिंह के विधिक वारिश उतरदाता सं. 1 से 5 के नाम नये सिरे से नामान्तरकरण पारित किया जावे । निर्णय न्याय आपके द्वार 2018 राजस्व लोक अदालत/ कोर्ट कैम्प अरटी में दिनांक 15.06.2018 को मजमे आम में लिखकर सुनाया गया।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो । संख्या से कम हो।

(भूपेन्द्र कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन